

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा  
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-40/16 (2016/00179) वादपत्र

अनवान

1. नशीर खां पिता वजीर खां पठान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

बनाम

वादी

1. नन्है खां पिता वजीर खां पठान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. हफीज मोहम्मद पिता भुरे खां पठान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. साबीर मोहम्मद पिता भुरे खां पठान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. सद्दीक मोहम्मद पिता भुरे खां पठान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. रफीक मोहम्मद पिता भुरे खां पठान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. अमरीन बेगम बेवा भुरे खां पठान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. अनवर हुसैन पिता इकबाल मोहम्मद पठान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. सहीदा बैगम पिता इकबाल मोहम्मद पठान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. नफीसा बेगम पत्नि इकबाल मोहम्मद पठान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. मोहम्मद हुसैन पिता शेर खां पठान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. जाकिर हुसैन पिता शेर खां पठान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. जनत बेवा शेर खां पठान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम  
निर्णय

दिनांक 06.08.2020


पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 30.07.2020 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम केमुणिया पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की खाता संख्या 11 में अंकित आराजी संख्या 1514 रकबा 0.32 है0, आराजी संख्या 1733 रकबा 0.13 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.45 है0 व खाता संख्या 12 में अंकित आराजी संख्या 1325 रकबा 0.01 है0 गे.मु. आचा, आराजी संख्या 1332 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 1333 रकबा 0.27 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.43 है0 व खाता संख्या 7 में अंकित आराजी संख्या 2182 रकबा 0.45 है0, आराजी संख्या 2183 रकबा 0.77 है0, आराजी संख्या 1320 रकबा 0.04 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 1.26 है0 व खाता संख्या 9 में अंकित आराजी संख्या 1328 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 1329 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 1330 रकबा 0.35 है0, आराजी संख्या 1331 रकबा 0.12 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 0.75 है0 भूमि में आवागमन का रास्ता एवं चाह की आराजी संख्या 1325 रकबा 0.01 है0 गे.मु. आचा. को सामलाती रखते हुए शेष भूमि का वादी का 1/4 हिस्से बाई मीट्स एण्ड बोर्ड्स के आधार पर विभाजन करवा स्वंत्रत राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड में खोल जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एव तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 30.07.2020 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादी अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादी अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

### आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम केमुणिया तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में प्रस्तावित आराजी संख्या 1283/1 रकबा 0.31 है, आराजी संख्या 1320/1 रकबा 0.02 है, आराजी संख्या 1514/1 रकबा 0.08 है, आराजी संख्या 1733/1 रकबा 0.03 है, आराजी संख्या 1333/1 रकबा 0.06 है, आराजी संख्या 1329 रकबा 0.12 है, आराजी संख्या 1330/1 रकबा 0.10 है, कुल किता 7 कुल रकबा 0.72 है भूमि नशीर मोहम्मद पिता वजीर खां मुसलमान सा. रायपुर खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 1282 रकबा 0.45 है, आराजी संख्या 1283/2 रकबा 0.46 है, आराजी संख्या 1320/2 रकबा 0.02 है, आराजी संख्या 1514/2 रकबा 0.24 है, आराजी संख्या 1733/2 रकबा 0.10 है, आराजी संख्या 1332 रकबा 0.15 है, आराजी संख्या 1333/2 रकबा 0.21 है, कुल किता 7 कुल रकबा 1.63 है भूमि अनवर हुसैन पिता इकबाल मोहम्मदसहीदा बेगम पुत्री इकबाल मोहम्मद नफीसा बेगम बेवा इकबाल मोहम्मद मोहम्मद हुसैन जाकिर हुसैन पिता शेर खां जन्नत बेगम बेवा शेर खां 1/3 हफीज मोहम्मद सदीक मोहम्मद साबीर मोहम्मद रफीक मोहम्मद पिता भुरे खां 1/3 नन्हे खां पिता वजीर खां 1/3 मुसलमान सा. रायपुर एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 1328 रकबा 0.16 है, आराजी संख्या 1331 रकबा 0.12 है, आराजी संख्या 1330/2 रकबा 0.25 है, कुल किता 3 कुल रकबा 0.53 है भूमि अनवर हुसैन पिता इकबाल मोहम्मद नफीसा बेगम पत्नि इकबाल मोहम्मद, मोहम्मद हुसैन जाकिर हुसेन पिता शेर खां 17/53 नन्हे खां पिता वजीर खां 17/53 मुसलमान जुवारमल पिता तिलोक 19/53 जाट सा. रायपुर एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 1325 रकबा 0.01 है गे.मु. आचा अनवर हुसैन पिता इकबाल मोहम्मद सहीदा बेगम पुत्री इकबाल मोहम्मद नफीसा बेगम बेवा इकबाल मोहम्मद 1/4 मोहम्मद हुसैन जाकिर हुसैन पिता शेर खां जन्नत बेगम बेवा शेर खां 1/4 नन्हे खां पिता वजीर खां 1/4 नशीर खां पिता वजीर खां 1/4 हफीज मोहम्मद सदीक मोहम्मद साबीर मोहम्मद रफीक मोहम्मद पिता भुरे खां अमरीन बेवा भुरे खां 1/4 मुसलमान सा. रायपुर रखते हुए रेकार्ड कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
6-8-2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री  
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा  
पीठासीन अधिकारी:-श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-40/16 (2016/00179) वादपत्र

अनवान

1. नशीर खां पिता वजीर खां पठान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. नन्है खां पिता वजीर खां पठान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. हफीज मोहम्मद पिता भुरे खां पठान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. साबीर मोहम्मद पिता भुरे खां पठान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. सद्दीक मोहम्मद पिता भुरे खां पठान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. रफीक मोहम्मद पिता भुरे खां पठान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. अमरीन बेगम बेवा भुरे खां पठान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. अनवर हुसैन पिता इकबाल मोहम्मद पठान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. सहीदा बैगम पिता इकबाल मोहम्मद पठान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. नफीसा बेगम पत्नि इकबाल मोहम्मद पठान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. मोहम्मद हुसैन पिता शेर खां पठान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. जाकिर हुसैन पिता शेर खां पठान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. जनत बेवा शेर खां पठान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम केमुणिया तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रस्तावित आराजी संख्या 1283/1 रकबा 0.31 है0, आराजी संख्या 1320/1 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 1514/1 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 1733/1 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 1333/1 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 1329 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 1330/1 रकबा 0.10 है0, कुल किता 7 कुल रकबा 0.72 है0 भूमि नशीर मोहम्मद पिता वजीर खां मुसलमान सा. रायपु खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 1282 रकबा 0.45 है0, आराजी संख्या 1283/2 रकबा 0.46 है0, आराजी संख्या 1320/2 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 1514/2 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 1733/2 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 1332 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 1333/2 रकबा 0.21 है0, कुल किता 7 कुल रकबा 1.63 है0

भूमि अनवर हुसैन पिता इकबाल मोहम्मदसहीदा बेगम पुत्री इकबाल मोहम्मद नफीसा बेगम बेबा इकबाल मोहम्मद मोहम्मद हुसैन जाकिर हुसैन पिता शेर खां जन्नत बेगम बेवा शेर खां 1/3 हफीज मोहम्मद सदीक मोहम्मद साबीर मोहम्मद रफीक मोहम्मद पिता भुरे खां 1/3 नन्हे खां पिता वजीर खां 1/3 मुसलमान सा. रायपुर एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 1328 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 1331 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 1330/2 रकबा 0.25 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.53 है0 भूमि अनवर हुसैन पिता इकबाल मोहम्मद नफीसा बेगम पत्नि इकबाल मोहम्मद, मोहम्मद हुसैन जाकिर हुसेन पिता शेर खां 17/53 नन्हे खां पिता वजीर खां 17/53 मुसलमान जुवारमल पिता तिलोक 19/53 जाट सा. रायपुर एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 1325 रकबा 0.01 है0 गे.मु. आचा अनवर हुसैन पिता इकबाल मोहम्मद सहीदा बैगम पुत्री इकबाल मोहम्मद नफीसा बेगम बेवा इकबाल मोहम्मद 1/4 मोहम्मद हसैन जाकिर हुसैन पिता शेर खां जन्नत बेगम बेवा शेर खां 1/4 नन्हे खां पिता वजीर खां 1/4 नशीर खां पिता वजीर खां 1/4 हफीज मोहम्मद सदीक मोहम्मद साब्बीर मोहम्मद रफीक मोहम्मद पिता भुरे खां अमरीन बेवा भुरे खां 1/4 मुसलमान सा. रायपुर रखते हुए रेकार्ड कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

वाद में डिक्री आज दिनांक 06.08.2020 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

*Sun*  
6.8.2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा

